पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 140/17

अनवान :

1. भागीरथ पुत्र रणजीत जाति गुजर निवासी भरवाना तहसील भादरा।
2. रामसिंह पुत्र रणजीत जाति गुजर निवासी भरवाना तहसील भादरा।
3. शेरसिंह पुत्र रणजीत जाति गुजर निवासी भरवाना तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. रणजीत पुत्र मंगलाराम जाति गुजर निवासी भरवाना तहसील भादरा।
2. भजनलाल पुत्र तुलछीराम जाति गुजर निवासी भरवाना तहसील भादरा।
3. गिरदावरी पत्नी तुलछीराम जाति गुजर निवासी भरवाना तहसील भादरा।
4. कलावती पुत्री रणजीत जाति गुजर निवासी भरवाना तहसील भादरा।
5. मूर्ति पुत्री रणजीत जाति गुजर निवासी भरवाना तहसील भादरा।
6. इन्द्रो पुत्र रणजीत जाति गुजर निवासी भरवाना तहसील भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।
8. हनुमानगढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0गोगामेडी जरिये शाखा प्रबन्धक।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री भानूप्रताप की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29.11.17 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 140/17

अनवान :

1. भागीरथ पुत्र रणजीत जाति गुजर निवासी भरवाना तहसील भादरा।
2. रामसिंह पुत्र रणजीत जाति गुजर निवासी भरवाना तहसील भादरा।
3. शेरसिंह पुत्र रणजीत जाति गुजर निवासी भरवाना तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. रणजीत पुत्र मंगलाराम जाति गुजर निवासी भरवाना तहसील भादरा।
2. भजनलाल पुत्र तुलछीराम जाति गुजर निवासी भरवाना तहसील भादरा।
3. गिरदावरी पत्नी तुलछीराम जाति गुजर निवासी भरवाना तहसील भादरा।
4. कलावती पुत्री रणजीत जाति गुजर निवासी भरवाना तहसील भादरा।
5. मूर्ति पुत्री रणजीत जाति गुजर निवासी भरवाना तहसील भादरा।
6. इन्द्रो पुत्र रणजीत जाति गुजर निवासी भरवाना तहसील भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।
8. हनुमानगढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0गोगामेडी जरिये शाखा प्रबन्धक।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक व दुरूस्ती रिकार्ड
अन्तर्गत धारा 88, 89 राज.काश्त.अधिनियम
उपस्थिति : वकील श्री भानुप्रताप : **वादीगण**
निर्णय **दिनांक :**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 1 जीजीएम के खाता सं0 60/63 के मु0नं0 14 के किला नं0 4, 5, 6, 7, 13 ता 18, 23 ता 25, मु0न0 15 के किला नं0 1 ता 3, 6ता 25 कुल 8.513 है0 नहरी खातेदारी मय खाला की खातेदारी प्रतिवादी रणजीत के नाम से खातेदारी दर्ज है।

वादभूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार है। वादभूमि पहले वादीगण के दादा मंगलाराम की खातेदारी हुआ करती थी, मंगला के देहान्त होने पर वादभूमि का विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी रणजीत ने कर्ता खानदान होने के कारण तन्हा अपने नाम से दर्ज करवा ली है।

वादभूमि के सम्बन्ध में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पारिवारिक सैटलमेन्ट भी हो गया था जिसमें वादभूमि जो प्रतिवादी रणजीत के नाम से दर्ज है वह वादीगण एवं प्रतिवादी रणजीत तथा प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 के पिता व पति तुलछीराम को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई थी तथा प्रतिवादीगण सं0 4 ता 6 ने वादभूमि में अपना हक हिस्सा वादीगण एव प्रतिवादी रणजीत व तुलछीराम के पक्ष में बहिस्सा बराबर के अनुसार तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया था। जिस पर वादभूमि

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)

में वादीगण को 3/5 हिस्सा बहिस्सा बराबर एवं प्रतिवादी सं0 1 को 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 के पिता व पति के देहान्त होने के कारण उनको संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा प्राप्त हो गया तथा इसी अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण की कब्जा काश्त चली आ रही है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में वादभूमि आज भी तन्हा प्रतिवादी रणजीत के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 ने इकबालदावे पेश किये। प्रतिवादी सं0 7 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए विवादित कृषि भूमि पैतृक दादालाई होना जाहिर किया।

हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने चक 1 जीजीएम के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादीगण ने अपने दावा में विवादित आराजी को दादालाई पैतृक कृषि भूमि बताया है। परन्तु ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाये है जिससे कृषि भूमि दादालाई पैतृक साबित हो सके। वादीगण द्वारा प्रस्तुत पर्चा खतौनी की चित्रप्रति भी प्रमाणित नहीं है।

अत : वाद वादीगण साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.11.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़